AP

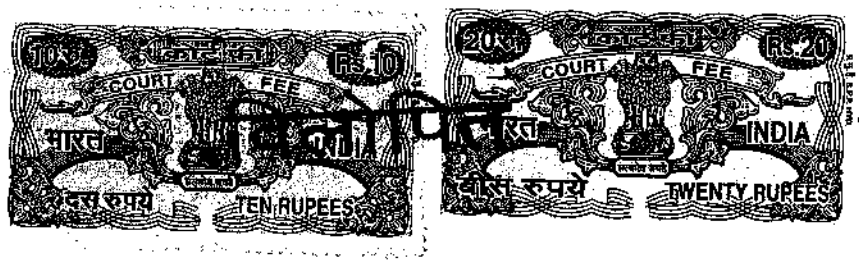

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10
COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20

विक्रोपिल

174

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल, ग्वालियर म0 प्र0

निगरानी प्रकरण क्र0- सन् 2016 नि0 1967-I/16

श्री रजनी वक्रिष्ठ शर्मा द्वारा आज दि 21/06/16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

R-V

21/6/16

लखन प्रजापति तनय धूराम प्रजापति निवासी देवगॉव

तहसील राजनगर, जिला छतरपुर म.प्र. — —निगरानीकर्ता,

बनाम

मध्य प्रदेश शासन — —अनावेदक,

निगरानी अंतर्गत धारा-50 म0प्र0भू0रा0 संहिता-1959,

निगरानी विरूद्ध आदेश माननीय अपर कलेक्टर छतरपुर के प्र0क्र0-11/अ-21/2015-16 मे पारित आदेश दिनॉक 06/06/2016 से परिवेदित होकर निगरानी प्रस्तुत है।

महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निम्न प्रार्थना है :-

1. यह कि निगरानीकर्ता लखन लाल प्रजापति तनय धूराम प्रजापति निवासी देवगॉव ने ~~खसरा~~ भूमि खसरा नं. 876, 877, रकबा क्रमशः 0.773, 0.906 किता 2 कुल रकबा 1.679 हे0 भूमि स्थित देवगॉव तहसील राजनगर जिला छतरपुर म.प्र. की भूमि पुत्री की शादी करने हेतु बिक्रय की अनुमति दिये जाने के लिए कंण्डिका की धारा 165(7 ख) 1959 के तहत अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर छतरपुर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जो अधीनस्थ न्यायालय व्दारा विधि प्रतिकूल जाकर आवेदन में उल्लेखित तथ्यो की जॉच कराये बिना भूमि बिक्रय की अनुमति

XXXIx(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 1962/एक/2016 निगरानी जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषकों के हस्ताक्ष
21-6-16	यह निगरानी कलेक्टर छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 11/अ-21/15-16 में पारित आदेश दिनांक 6-6-16 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक ने कलेक्टर छतरपुर के समक्ष म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र देकर उसके नाम की ग्राम देवगॉव स्थित भूमि सर्वे कमांक 876,877 रकबा 0.773 तथा 0.906 कुल किता 2 कुल रकबा 1.679 है. के विक्रय की अनुमति दिये जाने की मांग की। कलेक्टर छतरपुर ने प्रकरण कमांक 11/अ-21/15-16 पंजीबद्व किया तथा आदेश दिनांक 6-6-16 पारित करके आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई हैं। 3/ आवेदक की अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा एंव शासन के पैनल लायर के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। 4/ आवेदक की अभिभाषक ने तर्को में बताया कि ग्राम धौरी स्थित वाद विचारित भूमि आवेदक को वर्ष 1981 में पटटे पर मिली है एंव वर्तमान में भूमिस्वामी स्वत्व पर शासकीय अभिलेख में अंकित है। आवेदक व्दारा उक्त भूमि को विक्रय करने पर 1.709 हैक्टर भूमि	

उसके आजीविका के लिये शेष बचेगी किन्तु कलेक्टर छतरपुर ने वास्तविक स्थिति जाने बिना विक्रय की अनुमति न देने में भूल की है।

शासन के पैनल लायर ने बताया कि भले ही शासकीय अभिलेख में भूमि आवेदक के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर है परन्तु वह प्रजापति जाति का है उन्होंने कलेक्टर के आदेश को उचित बताते हुये निगरानी निरस्त करने की मांग की।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि ग्राम देवगॉव स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 876,877 रकबा 0.773 तथा 0.906 कुल किता 2 कुल रकबा 1.679 है. आवेदक के पिता स्वर्गीय धूराम को नायव तहसीलदार चन्द्रनगर के प्रकरण कमांक 6 अ-19/81-82 में आदेश दिनांक 20-12-81 से पट्टे पर प्राप्त है और यही भूमि आवेदक को विरासत में पिता से प्राप्त हुई है एंव वर्तमान में भूमिस्वामी स्वत्व पर शासकीय अभिलेख में अंकित है। तब क्या आवेदक को विक्रय अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की बैधानिक अड़चन है ?

(1) आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या0 विरुद्ध म0प्र0राज्य तथा एक अन्य 2013 रा0नि0-8 - माननीय उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत है कि :-

"(1) भू-राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.)-धारा 165 (7-ख) तथा 158 (3) का लागू होना - उपबंधों के अंतः स्थापन से पूर्व पट्टा तथा भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये - बिना अनुमति के भूमि का अंतरण - उपबंधों को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया - उपबंध आकर्षित नहीं होते -

Appendix(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 1967/एक/2016 निगरानी जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाष के हस्ता

भूमिस्वामी का अंतरण का अधिकार निहित अधिकार है।
(2) विधि का निर्वचन – का सिद्धांत – नवीन उपबंध का अंतःस्थापन – भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया – ऐसे उपबंध की भूतलक्षी प्रभावी होने की उपधारणा नहीं की जा सकती।''

(2) दयाली तथा एक अन्य विरूद्ध महिला श्यामाबाई 2004 रा0नि0 183 में व्यवस्था दी गई है कि
भू राजस्व संहिता 1959(म0प्र0) – धारा 165 (7–ख) – सरकारी पटटेदार द्वारा आबंटन के 10 वर्ष पश्चात् भूमिस्वामी अधिकार अर्जित किये – भूमि का विकय कर सकता है – कलेक्टर की पूर्व अनुज्ञा आवश्यक नहीं है।

जब कि विचाराधीन भूमि पटटे भले ही पटटे पर प्राप्त हुई है एंव विरासत में आवेदक को पिता से प्राप्त है भूमिस्वामी स्वत्व पर शासकीय अभिलेख में दर्ज है परन्तु वर्ष 1981 से निरन्तर खेती करने एंव पटटे की शर्तो का पालन करने के कारण पटटा प्राप्ति दिनांक 20–12–1981 के ठीक दस वर्ष वाद आवेदक भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त कर चुका है जिसके कारण वह वादग्रस्त भूमि के प्रत्येक प्रकार के उपभोग के लिये स्वतंत्र है। परन्तु कलेक्टर छतरपुर ने आदेश दिनांक 6–6–16 पारित करते समय इन तथ्यों पर ध्यान न देने में भूल की है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर छतरपुर द्वारा प्रकरण कमांक 11/अ–21/ 15–16 में पारित आदेश दिनांक 6–6–16 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव आवेदक को उसके स्वामित्व की ग्राम देवगॉव स्थित भूमि सर्वे कमांक 876,877 रकबा 0.773 तथा 0.906 कुल किता 2 कुल रकबा 1.679 है. के विकय की अनुमति प्रदान की जाती है ।

सदस्य